



क्रमांक 437...../बै.प्र./कार्यपरिषद/2014

दिनांक 23/12/14

अधिसूचना

डॉ० मनीष श्रीवास्तव, आचार्य, सदस्य कार्यपरिषद द्वारा कार्यपरिषद की सदस्यता से प्रस्तुत त्यागपत्र दिनांक 20 नवंबर 2014 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के प्रथम परिनियम क्रमांक 31 के प्रावधानानुसार दिनांक 24 नवंबर 2014 से प्रभावी हो गया है। अतः सह प्राध्यापक संवर्ग में कार्यपरिषद सदस्य का पद रिक्त हो गया है।

उपरोक्त स्थिति में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 38 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत, कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 106/बै.प्र./2012 दिनांक 19.12.2012 के अनुक्रम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम क्रमांक 11 (संशोधित) की कंडिका (1)(आठ) के प्रावधान "कुलपति द्वारा नामित एक सह-प्रोफेसर" के अंतर्गत डॉ० एच.एस.तिवारी, सह-प्राध्यापक, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग को कार्यपरिषद का सदस्य नामित किया गया है।

उक्त नामांकन कार्यपरिषद के शेष कालावधि अर्थात् दिनांक 18.12.2015 तक के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

दिनांक 23/12/14

पृ.क्र. 438...../बै.प्र./कार्यपरिषद/2014
प्रतिलिपि -

1. कुलाधिपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अध्ययन शालाओं के अधिष्ठातागण/समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. डॉ० मनीष श्रीवास्तव, आचार्य अग्रेजी विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. डॉ० एच.एस.तिवारी, सह-प्राध्यापक शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (बै.प्र.)